12.7.19

उक्त पत्र उप.। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है विवादित भूमि अलग से सिरकम गुजारा गया शामिल रहे। राजीनामा भूमि व डिक्री का जुज रहेगा। खाता विभाजन स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

22.7.19

वादी अभिभाषक द्वारा खाता विभाजन स्टाम्प ड्यूटी 100/- पेश किये गये है अतः मुताबिक भूमि अंतिम डिक्री जारी हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

नाम पीठासीन अधिकारीः—कपिल कुमार,यादव(आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :—111/2019

.विनोद कुमार पुत्र श्री रतीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ ।
———वादी।

बनाम

1. रतीराम पुत्र लाधूराम 2. सुभाष चन्द्र पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ 3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

————प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः—
1.श्री बलराम भिडासरा, एडवोकेट—वादी।
2.श्री औमप्रकाश बैनीवाल, एडवोकेट—प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

दिनांकः— 12.7.19

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता रतीराम के नाम से चक 16 एन डी आर खाता संख्या 56/58 में पत्थर नम्बर 147/346 मु.न. 13 किला नम्बर 1 ता 10, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 5.415 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादी के दादा से प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि विरास्तन है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दो ही वारिस है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में काश्त की सुविधा के हिसाब से हक व हिस्सा के मुताबिक बांट कर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति से अपने हिस्सा की जमीन चक 16 एन डी आर पत्थर नम्बर 147/346 किला नम्बर 1, 2, 9, 10,12, 19, 22 का बेचान कर दिया है। बैंक लोन होने के कारण अभी खरीददार का नाम दर्ज नही है। वादी का उपरोक्त जमीन में 1/3 हिस्सा बनता है। मुताबिक कानून वादी अपना हक व हिस्सा घोषित करवाना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो तथा जमीन वादी के नाम होने से बैंक ऋण की सुविधा भी ले सकेगा। मुताबिक वाद पत्र वादी ने 10.4.2019 को निवेदन किया कि वादग्रस्त जमीन का हक के मुताबिक हिस्सा तय करवा कर खाता विभाजन करवा लें लेकिन प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया। यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र डिकी किया जाकर निम्न अनुतोष प्रदान किया जावेः— चक 16 एन डी आर के पत्थर नम्बर 147/346 मु.न. 13 कुल 5.415 हैक्टर में 1/3 हिस्सा घोषित कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मुताबिक हक व हिस्सा खाता विभाजन कर वादी के नाम से चक 16 एनडीआर पत्थर नम्बर 147/346 मु.न. 13 किला नम्बर 4/0.2280/.0250(खाला) 5/0.202/0.0510(खाला) 6/0.2280/0.0250(खाला),7/0.2530,14/0.2530,15/0.2280/0.0250(खाला)16/0.2280/0.250(खाला), 25/0.2280/0.250(खाला)कुल 8.00 बीघा मय रास्ता खाला का वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मुताबिक विभाजन में दर्ज की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने लोक अदालत की भावना प्रेरित होकर व स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया

Scanned by CamScanner

व मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जो स्वीकार करने पर बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की और से जवाब स्टेट पेश कर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की गई है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 16 एन डी आर खाता रतीराम खाता संख्या 56/58 सवंत 2072–2075 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 16 एन डी आर लाधूराम पुत्र मोढाराम संवत 2048 प्रदर्श 2 आदि पेश किये। साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार का शपथ पत्र पेश किया गया । प्रतिवादी द्वारा जिरह नही की गई व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई दौराने बहस वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा घरू बंटवारा में मुताबिक राजीनामा कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। इस लिए मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी चक 16 एन डी आर खाता रतीराम खाता संख्या 56/58 सवंत 2072–2075 प्रदर्श 1, प्रतिवादी संख्या 1 रतीराम जो वादी का पिता के नाम से दर्ज है। जमाबंदी चक 16 एन डी आर लाधूराम पुत्र मोढाराम संवत 2048 प्रदर्श 2 अनुसार विवादित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादी के दादा लाधूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा अनुसार विवादित आराजी का बंटवारा कर वादी ने घराघरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में से 8.00 बीघा मय खाला रास्ता सुविधा विभाजन में प्राप्त कर अपने हक में घोषणा व खाता विभाजन चाहा है जिसका अब पक्षकारो के मध्य कोई विवाद नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। वादी को चक 16 एन डी आर के पत्थर नम्बर 147/346 मु.न. 13 कुल 5.415 हैक्टर में 1/3 हिस्सा घोषित कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा हक व हिस्सा वादी के नाम से चक 16 एनडीआर पत्थर नम्बर 147/346 मु.न. 13 किला नम्बर 4/0.2280/.0250 (खाला) 5/0.202/0.0510 (खाला) 6/0.2280/0.0250(खाला),7/0.2530,14/0.2530,15/0.2280/0.0250(खाला)16/0.2280/0.250(खाला), 25/0.2280/0.250(खाला) कुल 8.00 बीघा मय रास्ता खाला का वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड अलग खाता कायम कर दर्ज किया जावे। खाता विभाजन स्टाम्प डयूटी नियमानुसार पेश होने पर इस आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है, तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12 7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 13:04:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: